57

संख्या– /XVIII-(2)/16-4(15)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 मई अप्रैल, 2016

विषयः– **प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र तलवाड़ी, चमोली के पुनर्निर्माण कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–1314/आपदा/2015–16, दिनांक 15.12.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा प्रभावित जनपदों में निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों के तालाबों का पुनर्निर्माण, जिसमें निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों के पुनर्निर्माण के कार्य प्रस्तावित है, में अधिकतर मत्स्य पालकों द्वारा जनपद स्तर पर प्रचलित अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त कर लिया गया है, के स्थान पर मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र तलवाड़ी चमोली पर पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने हेतु ₹ 51.62 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–359, दिनांक 23.03.2015 द्वारा ₹ 5.00 करोड़ तक की योजनाओं के आगणनों की टी.ए.सी. कराने का अधिकार लोक निर्माण, लघु सिंचाई/सिंचाई, पेयजल तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दिया गया है। तत्क्रम में मत्स्य विभाग की योजनाओं हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित किये गये आगणन की धनराशि ₹ 51.56 लाख के सापेक्ष (एच.पी.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 200.00 लाख – पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹ 148.85 लाख) = ₹ 51.15 लाख (₹ इक्यावन लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./ केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाय, जिनके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
4. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये न छोड़ी जाय।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
6. यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जाय
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(10)

8. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी /कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
11. विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत कार्य/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।
14. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु पशुपालन विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग निदेशक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान (दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–(011) (1)/XVIII-(2)/16-4(15)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
4— जिलाधिकारी, चमोली।
5— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
7— अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— वित्त अनुभाग–1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
11— गार्ड फाइल।

29-4-2016

आज्ञा से

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव